भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024

क्रमांक 233/मप्रविनिआ/2024 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 9 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी–45, वर्ष 2023), जिसे एतद् पश्चात **"मूल विनियम"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 में प्रथम संशोधन

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (जी–45, वर्ष 2023) दिनांक 17–03–2023 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि इन विनियमों को भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा दिनांक 30–06–2023 तथा 01–09–2023 को अधिसूचित विद्युत संशोधन नियम, 2003 से संरेखित किये जाने हेतु इन विनियमों में कतिपय संशोधन किये जाने आवश्यक हैं, अतएव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 {जी–45, वर्ष 2023) में ये संशोधन अधिसूचित किये जा रहे हैं।

1 **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं का सत्यापन) विनियम, 2023 (प्रथम संशोधन) {जी–45(i), वर्ष 2024)"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के उद्देश्य में संशोधन**

मूल विनियमों के उद्देश्य के स्थान पर निम्न उद्देश्य स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"इन विनियमों का उद्देश्य आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों (Captive generating Plants) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) (Captive user(s)) की अद्यतन स्थिति के सत्यापन की क्रियाविधि को निर्दिष्ट करना है जब उपभोक्ता राज्य के भीतर अपने आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्रों से विद्युत का आयात करते हैं तथा, जब या तो आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र अथवा

आबद्ध उपयोगकर्ता पालन की जाने वाली शर्तो की पूर्ति नहीं करते, ऐसी स्थिति के परिणामों को निर्दिष्ट करना है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

3.1 विनियम 4.1 में उप–खण्ड (च) के पश्चात् उप–खण्ड (च–1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(च–1) **"नियंत्रक कम्पनी (Holding Company)"** का वही अर्थ होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) की धारा 2 के खण्ड 46 में परिभाषित किया गया है ;"

3.2 विनियम 4.1 में उप–खण्ड (ज) के पश्चात् उप–खण्ड (ज–1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(झ–1) **"सहायक कम्पनी (Subsidiary Company)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड 87 में परिभाषित किया गया है ;"

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 6.4 के उप–खण्ड (ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (ग) स्थापित किया जाए :

"(ग) विभिन्न प्रकार के आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) के सत्यापन मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

सरल क्रमांक	आबद्ध उपयोगकर्ता का प्रकार	मापदण्ड
एक	एकल आबद्ध उपयोगकर्ता (Single Captive User)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध खपत के 51% से कम न होगी : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जा सकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हो द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।
दो	साझेदारी फर्म / सीमित दायित्व भागीदारी (Partnership Firm/Limited Liability Parthership)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User) की खपत विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध खपत के 51% से कम न होगी : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा

		संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से. की जा सकेगी :
तीन	व्यक्तियों का संघ (Association of Persons-AoP)	आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) में उनके शेयर अनुपात में, 10% से अनाधिक घटत–बढ़त (Variation) के अधीन, आबद्ध उपयोगकर्ताओं (Captive Users) की विद्युत खपत आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध विद्युत के 51% से कम न होगी ; परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जाकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हों द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।
चार	सहकारिता समिति (Cooperative Society)	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक उत्पादित शुद्ध विद्युत के से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेंगे : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जा सकेगी :
पांच	कम्पनी / साझेदारी / फर्म / समिति दायित्व भागीदारी / व्यक्तियों के संघ द्वारा गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (Special Purpose Vehicle) द्वारा आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) स्थापना के आबद्ध उपयोगकर्ता	आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive User{(s}) सामूहिक रूप से आबद्ध विद्युत उत्पादन संयन्त्र (CGP) द्वारा वार्षिक उत्पादित शुद्ध विद्युत के से कम 51% भाग की खपत वार्षिक आधार पर करेगा / करेंगे : परन्तु यह कि आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा विद्युत की खपत या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली (Energy Storage System) के माध्यम से की जाकेगी : परन्तु आगे यह और कि किसी कम्पनी की सहायक कम्पनी या नियन्त्रक कम्पनी जो कि विद्यमान आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हों द्वारा की गई विद्युत खपत आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) द्वारा आबद्ध खपत के रूप में भी स्वीकार्य होगी।

4.2 **मूल विनियमों के विनियम 6.4 के अन्तर्गत उप–खण्ड (घ) के अधीन तालिका की पंक्ति (ROW) (तीन) को विलोपित किया जाए।**

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, आयोग सचिव.